

## अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-16वीं जुलाई 2020

सेवा में,

जे0एन0ए0सी0,

जमशेदपुर एन0ए0सी0, साकची,

जमशेदपुर बिरसानगर, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

**विषय:-** मौजा-बिरसानगर, प्लॉट नं0-909, 910, 911, 912/P, 913 TO 929, 931, 933 TO 941, 980, 981/P, 982 TO 985, 987 TO 989, 991, 992, 969, 970, 997/P, 4711, 4191/P, 1104/P, 912, 4191, 4265, 4273, खाता नं0-55, वार्ड नं0-17 OF JNAC, थाना-1201, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित PMAY-Birsanagar आवासीय बहुमंजिले G+9 भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिले भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-264 दिनांक-14.07.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित G+9 बहुमंजिले आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 2,50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक से अग्निशमन वाहन को पानी लिये जाने हेतु Draw-Out Connection दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु पच्चीस-पच्चीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ 150mm डायामेटर का एक-एक डाउन कमर का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होजरील होज, 63mm डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
5. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक डाउन कमर सिस्टम से जुड़ा हुआ 900ली0/मि0 क्षमता का एक-एक टेरस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. प्रस्तावित भवन के सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
7. प्रस्तावित आवासीय भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसि इलेक्ट्रीशियन से हीं कराया जाय।
8. भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले दो-दो अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
9. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
10. प्रस्तावित आवासीय भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
11. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. भवन के प्रत्येक स्टेयर केश में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भवन में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

13. भवन के किसी भी लॉबी/पैसेजों की चौड़ाई कम से कम 1.8 मीटर अवश्य रखा जाय।
14. भवनों में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
15. सामने वाले ब्लॉक के साईड सेटबैक में कम से कम इतना स्थान अवश्य छोड़ा जायेगा कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में पिछले ब्लॉक तक अग्निशमन वाहनों को पहुँचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
16. सभी सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
17. भवन में कम से कम एक-एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय।
18. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
19. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
20. भवन में किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
21. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU  
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME  
JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,  
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec  
9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,  
2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb5  
17b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand  
Date: 2020.07.16 18:08:37 +05'30'

(बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।